>

Title: Introduction of the Prohibition on Use of Coercive Methods for Recovery of Bank Loans Bill, 2012.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों या उनके अभिकर्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि बैंकों या उनके अभिकर्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

–

सभापति महोदय : श्री विष्णु पद राय - अनुपस्थित